न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

दिनांक	फर्द अहकाम	
	मु०न० 23/18 तारीख रुजू - 24/5/18	
	उनवान :- उम्मेद लाल बनाम रामचरण वगैरह	
	प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा	
24/5/18	प्रार्थी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा Adv. ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा R.T. Act 212 के तहत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ जमाबन्दी, शपथ-पत्र का अवलोकन किया गया प्रार्थी वकील की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध मे बहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगणो की अन्तरिम स्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तिथी तक पाबंद किया जाता है कि टोडाभीम II बिस्वा में आराजी ख०न० 1713 रकबा 0.27 है०, 1714 रकबा 0.25 है० 1715 रकबा 0.24 है०, 1716 रकबा 0.52 है० कुल किता 4 रकबा 1.28 है० तथा ख०न० 23 रकबा 0.49 है०, 24 रकबा 0.29 है०, 25 रकबा 0.25 है० 1708 रकबा 0.83 है०, 1712 रकबा 0.37 है० किता 5 रकबा 2.23 है० वाके ग्राम टोडाभीम II बिस्वा में सायलान के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का विघ्न न करें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी कर तलब हो पत्रावली दिनांक 6.7.18 को पेश हो।	1840-43 24/5/18
	उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	
6.7.18	प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं. 1 के भाई ने नोटिस प्राप्त किया। अप्रार्थी नं. 2, 3 के नोटिस धार्मिको ने प्राप्त किये किन्तु कोई भी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
28.02.20	वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि हाल ख0न0 1713/0.27, 1714/0.25, 1715/0.24, 1716/0.52 की खातेदारी सायलान के नाम है नामांतकरण संख्या 122 दिनांक 15.10.1998 द्वारा बुद्वा पुत्र ख्याली के स्थान पर सजरा के अनुसार बुद्वा के भाई नारायण, सेडया, रामहेत के नाम खातेदारी दर्ज हुई है। सेडया की पत्नि बाल्की ने अपना हिस्सा विक्रय कर दिया जिसका नामांतकरण तस्दीक हो चुका है। ख्याली की मत्यु के बाद विरासत का नामांतकरण संख्या 552 दिनांक 27.6.1970 रामहेत पुत्र ख्याली के नाम खुला। रामहेत की मृत्यु के पश्चात रामचरण के नाम नामांतकरण खोले गये है। यह नामांतकरण अवैध व गलत है। ख्याली पुत्र गोपी व रामहेत पुत्र ख्याली के स्थान पर विरासत का नामांतकरण व खातेदारी उनके वारिसान वादीगण के नाम होनी चाहिये थी। विरासत के आधार पर ही वादीगण काबिज काश्त है। इसलिये प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि भूमि का रहन व्यय नही करे तथा वादीगण के कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। वकील गैरसायलान ने जबाब व काउन्टर क्लेम मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि सायलान का विवादित आराजीयात से कोई संबध नही है। सायलान व गैरसायल न0 1 एक ही बुजुर्ग की संतान नही है। सजरा गलत बनाया है सायलान के ख्याली के वारिस नही है ख्याली के एक मात्र पुत्र रामहेत था, और रामहेत के प्रतिवादी रामचरण है। सायलान का गौत्र कोटवाडया एवं गैरसायल न0 1 का गोत्र जौरवाल है। बुद्वा, नारायण, सेडया ग्राम कमालपुरा के निवासी है जबकि गैरसायल न0 1 के बाबा ख्याली बाल का पुरा टोडाभीम के निवासी है। गैरसायलान न0 1 के कब्जे काश्त की आराजी पैतृक है और विरासत से प्राप्त हुई है जिससे सायलान का कोई संबध नही है इसलिये सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे एवं सायलान को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी मे गैरसायल न0 1 के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत नही करे। वकील उभयपक्ष की बहस पर गहनता से मनन किया गया, पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया, जमाबन्दी सम्वत 2052 के खाता संख्या 481 मे दर्ज आराजी ख0न0 1713, 1714, 1715, 1716 कुल किता 4 कुल रकवा 1.28 है0 की खातेदारी विशेष विवरण मे नामांतकरण संख्या 122 दिनांक 15.10.1998 का नोट लगा हुआ है। जिससे बुद्वा के बजाय सूरमल, भूरया, हजारी हिस्सा 1/3, बाल्की बेवा सेडया हिस्सा 1/3, रामहेत पुत्र ख्याली हिस्सा 1/3 दर्ज है नामांतकरण संख्या 122 पर सजरा बना हुआ है। जिसमे रामहेत को ख्याली का पुत्र दिखाया गया है। जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के दूसरा खाता संख्या 743 मे वर्णित आराजी 23/0.19, 24/0.29, 25/0.25, 1708/0.83, 1712/0.37 कुल किता 5 कुल रकवा 2.23 है0 की खातेदारी रामचरण पुत्र रामहेत के नाम है। इन ख0न0 के साबिक ख0न0 305, 359 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2013–16 के खाता संख्या 38 के अनुसार ख्याली पुत्र गोपी जाति मीना एवं रामहेत पुत्र ख्याली के नाम दर्ज है। नामांतकरण संख्या 552 दिनांक 27.6.1970 से ख्याली पुत्र गोपी के स्थान पर रामहेत पुत्र ख्याली के नाम खातेदारी विरासत से दर्ज हुई है। एक तरफ तो ख्याली का वारिस रामहेत दिखाया गया है दुसरी तरफ बुद्वा की भूमि वारिसान के नाम दर्ज करने के नामांतकरण संख्या 122 मे ख्याली के वारिसान मे रामहेत को नारायण , बुद्वा, सेडया का भाई दर्शाया गया है। बुद्वा के वारिस कौन है इसका निर्धारण प्रार्थना पत्र मे नही किया जा सकता है, बल्कि इसका निर्धारण मूल वादपत्र मे साक्ष्य सबूतो के आधार पर ही होना संभव है। मूल वाद के निस्तारण तक विवादित आराजीयात की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये उभयपक्षकारो को पाबन्द किया जाना उचित पाता हूँ।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

दिनांक	फर्द अहकाम
	अतः उभयपक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा की आराजी ख0न0 1713/0.27, 1714/0.25, 1715/0.24, 1716/0.52 एवं 23/0.19, 24/0.29, 25/0.25, 1708/0.83, 1712/0.37 कुल किता 5 कुल रकवा 2.23 है0 मे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया। (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2020.03.04 16:31:58 IST
Reason: SelfAttested
Location: